प्रेस नोट थाना उत्तर दिनाँक 14-08-2024 जनपद फिरोजाबाद।

थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 504/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन यादव को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार।

- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, खोखा कारतूस एवं जिंदा कारतूस बरामद।**
- **अभियुक्त सचिन यादव पुलिस मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में गोली लगने से हुआ घायल**
- **अभियुक्त द्वारा दिनांक 03-08-2024 को कॉलेज के दो स्टूडेन्ट को रोककर उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुये की जा रही थी पैसो की डिमान्ड।**
- **एसएसपी फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त पर घोषित किया गया था 10 हजार रुपये का इनाम।**
- **अभियुक्त सचिन यादव सुक्खा गैंग का लीडर है जो कुछ दिन पहले 25 लाख रुपये की चोरी के मामले जेल गया था।**

दिनाँक 04-08-2024 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 504/24 धारा 191(2), 191(3), 190, 308(5), 126(2), 125, 115(2), 352, 351(3), 324(6) बीएनएस0 बनाम अभियुक्त सचिन यादव व अन्य पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 504/24 के आरोपी अभियुक्त सचिन यादव की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। थाना उत्तर पुलिस टीम को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मु0अ0सं0 504/24 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त सचिन यादव गिर्राज कॉलोनी के पास खड़ा हुआ है। उक्त सूचना का संज्ञान लेकर थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा गिर्राज कॉलोनी के पास पहुँची तो इसी दौरान बाइक लेकर खडा हुआ एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा।

पुलिस टीम द्वारा उक्त युवक को आवाज देकर रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को पास देखकर युवक भागते हुए पुलिस टीम पर अवैध असलहा से फायर करने लगा। पुलिस टीमों द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया। घायल की पहचान सचिन यादव उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र छोटेलाल यादव निवासी जैन नगर खेड़ा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के रुप में हुयी है जो कि मु0अ0सं0 504/24 में नामजद अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- वादी द्वारा थाना उत्तर पर दिनांक 04-08-2024 को तहरीर दी गयी कि थी कि दिनाँक 03-08-2024 को वादी का पुत्र अपने कॉलेज से घर आ रहा था तभी रास्ते में मौहल्ला गोमती नगर के पास अभियुक्त सचिन यादव द्वारा अपने 5-6 साथियों के साथ वादी के पुत्र एवं उसके साथी स्टूडेन्ट को रोककर उनको सुनसान जगह ले जाकर जबरदस्ती उनका वीडियो बनाया था जिसे वायरल करने की धमकी देकर रुपयो की मांग कर रहा था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर मु0अ0सं0 504/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण के शीघ्र खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर की पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सचिन यादव उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र छोटेलाल यादव निवासी जैन नगर खेड़ा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर।

2- 02 अदद खोखा कारतूस।

3- 03 अदद जिंदा कारतूस।

4- 01 मोटरसाईकिल स्पलैन्डर प्लस बिना नम्बर।

अभियुक्त सचिन यादव का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 504/24 धारा 191(2), 191(3), 190, 308(5), 126(2), 125, 115(2), 352, 351(3), 324(6) बीएनएस थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

2- मु0अ0सं0 97/2021 धारा 147/147/149/307/323/341 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

3- मु0अ0सं0 315/2022 धारा 147/148/323 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

4- मु0अ0सं0 567/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

5- मु0अ0स0 165/2023 धारा 147/323/506 भादवि व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी एसटी एक्ट थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

6- मु0अ0सं0 184/2024 धारा 147/323/336/452/504 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

7- मु0अ0सं0 433/2024 धारा 306/317(2)/61 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

8- मु0अ0सं0 448/2023 धारा 323/506 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

9- मु0अ0सं0 206/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।